संख्या-323/2015/335/नौ-5-15-168सीएम/2012

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2015

विषयः-नगरीय जल निकासी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर पंचायत, कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर में नाले के निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, नि.-8, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-41/म0प्र0नि-8/का-1/05, दिनांक 19.01.2015 के क्रम में शासनादेश संख्या-232/नौ-5-2013-168सीएम/12, दिनांक 25.03.2013, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में **नगर पंचायत, कप्तानगंज जनपद- कुशीनगर में नाला निर्माण के कार्य हेतु ₹ 418.53** लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा शासनादेश संख्या-5091/नौ-5-13-168सीएम/12, दिनांक 24.10.2013 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 398.53 लाख (₹ तीन करोड़ अठ्ठानबे लाख तिरपन हजार मात्र)** अवमुक्त की गई है, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत **रू0 494.67 लाख (₹ चार करोड़ चौरानबे लाख सड़सठ हजार मात्र)**, पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	शासनादेश संख्या-232/नौ-5-2013-168सीएम/12, दिनांक 25.03.2013,द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
1.	कुशीनगर	नगर पंचायत, कप्तानगंज	418.53	418.53	494.67
		योग	418.53	418.53	494.67

(₹ चार करोड़ चौरानबे लाख सड़सठ हजार मात्र)

(1) पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) सन्दर्भित कार्य हेतु शासनादेश संख्या-232/नौ-5-2013-168सीएम/12, दिनांक 25.03.2013, में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था की होगी।

(4) प्रायोजना प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से कार्यदायी संस्था/नागर निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तो एवं वित्त विभाग के परामर्श से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-323/2015/335(1)/नौ-5-15-168सीएम/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कप्तानगंज।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

http://shashinadesh.up.nic.in